THE
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985

स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

NDPS ACT, 1985

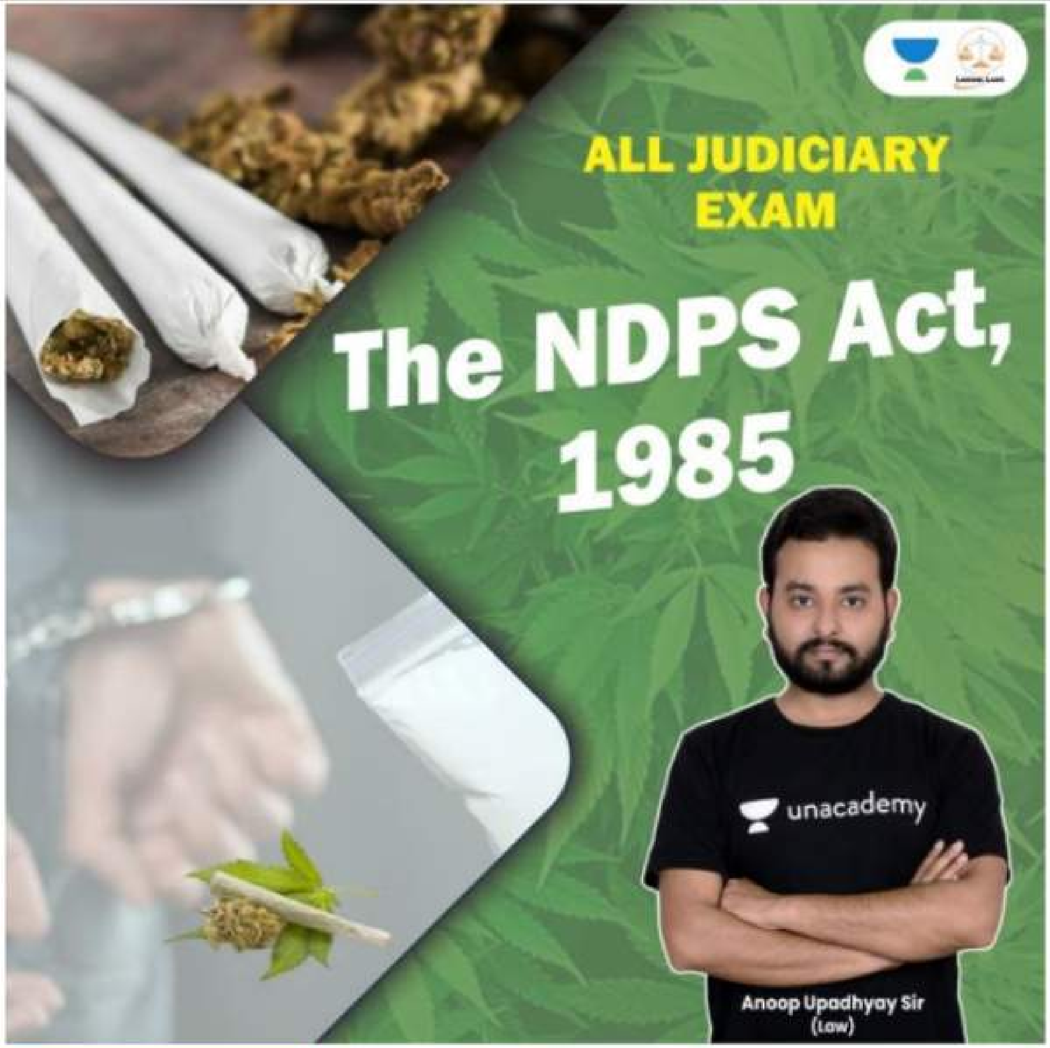

NDPS ACT, 1985

THE NARCOTIC DRUGS & PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT,1985

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

- Ch- 1 Preliminary [1-3]
- Ch- 2 Authorities & Officers [4-7]
- Ch- 2A National Fund for Control of Drug abuse [7A, 7B]
- Ch - 3 Prohibition, Control & Regulation [8-14]
- Ch- 4 Offences & Penalties [15-40]
- Ch- 5 Procedure [41-68]
- Ch- 5A Forfeiture of illegally acquired property [68A-68Z]
- Ch- 6 Miscellaneous [69-83]

NDPS ACT, 1985

The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

Narcotic (स्वापक)

↓

Word taken from Greek – NARKOS

(शब्द ग्रीक से लिया गया है)

↓

Means – Sleep (नींद)

↓

Used as pain killer or energetics (शक्तिवर्धक) → These drugs work on Central Nervous System

NDPS ACT, 1985

* Psychotropic Substances (मन: प्रभावी पदार्थ)

ये ऐसे ओषधि (Drugs) या Chemical Substance (रासायनिक पदार्थ) हैं, जो Brain के Function को, Mood को, Perception को, Consciousness (चेतना) को Change कर देते है।

Narcotic Drugs and Psychotropic substances, both have medicinal value but excess of everything is bad.
(स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ दोनों की औषधीय मूल्य है, किंतु अति हर चीज की बुरी होती है।)

NDPS ACT, 1985

Narcotic Drugs

NDPS ACT, 1985

History (इतिहास)

India has no legislation regarding narcotics until 1985.
(1985 तक भारत में नशीले (स्वापक) पदार्थों के संबंध में कोई कानून नहीं था)

Channabis smoking in India has been known since at least 2000 BC and is first mentioned in the Atharvaveda, which dates back a few hundred years BC.
(भारत में कैनबिस धूम्रपान कम से कम 2000 ईसा पूर्व से जाना जाता है और इसका पहला उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, जो कुछ सौ साल ईसा पूर्व का है।)

NDPS ACT, 1985

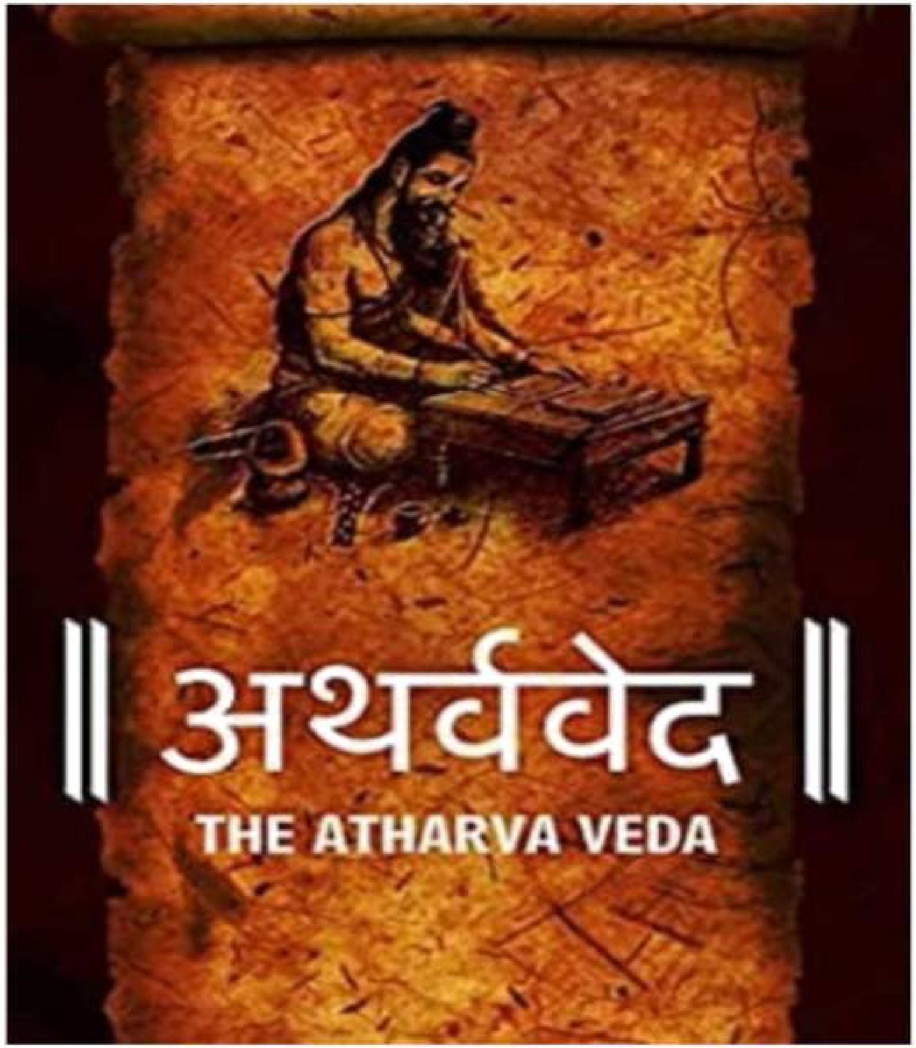

In Atharva Veda, Cannabis smoking was mentioned and was accepted as a form of recreation on a par with drinking alcohol.

(अथर्ववेद में, भांग के धूम्रपान का उल्लेख किया गया था और और साथ में शराब पीने का भी जिसे मनोरंजन के रूप में स्वीकार किया गया था।)

NDPS ACT, 1985

In the country, cannabis & its derivatives like hashish, marijuana, and bhang were legal up until 1985

(देश में कैनाबिस और इसके डेरिवेटिव जैसे हशीश, मारिजुआना और भांग 1985 तक वैध थे)

The Opium Act, 1857

↓

The Opium Act, 1878

↓

The Dangerous Drugs Act, 1930

↓

NDPS ACT, 1985

These are substantive Acts

Substantive Acts वो होते है जो Punishment (दण्ड) को बताते है।

Basically Criminal Substantive Act थे।

इनके Procedures Cr.PC में दिए गये थे।

Legislature Wants

सभी Acts को एक जगह consolidate (समेकन किया जाए)

एक Act, 1985 में बनाया गया।

NDPS Act, 1985

This Act was Amended many times
(यह अधिनियम कई बार संशोधित हुआ)

संशोधन

NDPS ACT, 1985

NDPS Act 1985

In 1988

In 2001

To prevent the misuse of the drugs
(स्वापक ओषधि के दुरूपयोग को रोकने के लिए)

NDPS ACT, 1985

* In 2001- Punishments (दण्ड) are very hard

Provisions के hard होने की वजह से इनका misuse तो रूका but NDPS का proper use नहीं हो पा रहा था। [Example- Death Punishment]

Amendment in 2014

Punishment (दण्ड)

Imprisonment upto 30 years or Death Penalty is given

Alternative Punishment भी जोड़ (add) दी गयी।

NDPS ACT, 1985

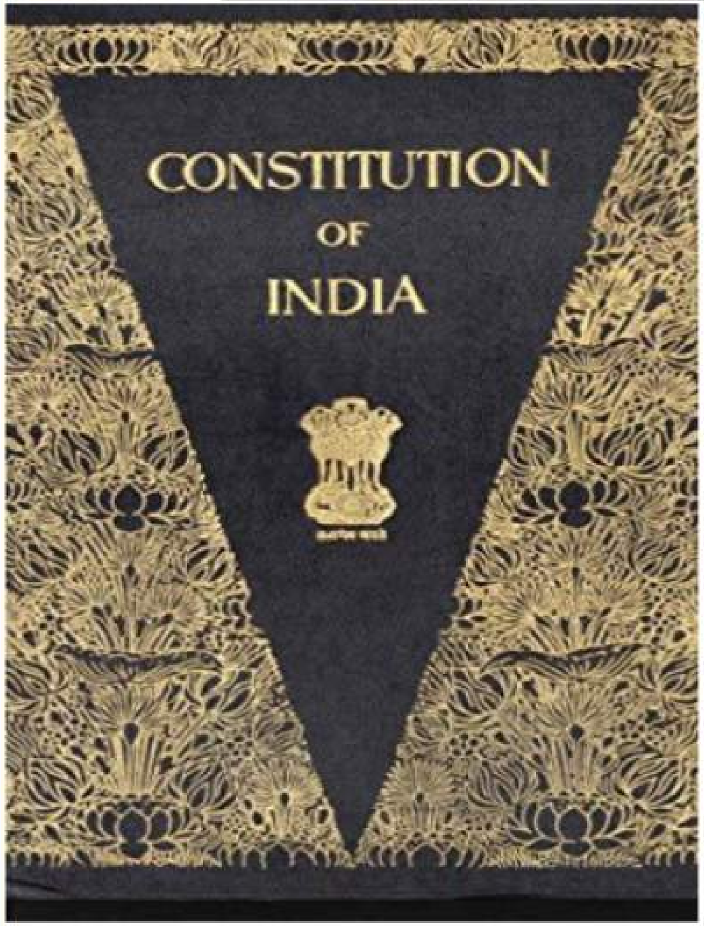

47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health-
The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

NDPS ACT, 1985

पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य-राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर ओषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।

Article **19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc** (वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण)-

(*g*) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business

Doctors

NDPS ACT, 1985

Conventions: 3 International Conventions

For limiting the use of narcotics & psychotropic substances for medical & scientific purpose.
(चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नशीले स्वापक और मन: प्रभावी पदार्थों के उपयोग को सीमित करने)

➡ To prevent its abuse
(दुरूपयोग को रोकने के लिए)

(1) UN Single convention on Narcotics Drugs (1961)
(2) UN Convention on Psychotropic Substances (1971)
(3) UN Convention on illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances (1988)

NDPS ACT, 1985

(1) The Opium Act, 1857

(2) The Opium Act, 1878

(3) The Dangerous Drugs Act, 1930

These are substantive acts
(Basically criminal substantive act, थे)

Rules

NDPS ACT, 1985

To Consolidate (समेकन करने के लिए)

एक Act 1985 में बनाया गया।

NDPS Act, 1985

This Act was (Amended) Many times
(यह अधिनियम कई बार संशोधित हुआ)

NDPS ACT, 1985

IN 1988

IN 2001

→ **To prevent the misuse of the drugs (स्वापक ओषधि के दुरूपयोग को रोकने के लिए)**

In 2001 – Punishment (दण्ड) are very hard.

NDPS ACT, 1985

Provisions के hard होने की वजह से इनका Misuse तो रूका but NDPS का Proper Use नहीं हो पा रहा था

↓

[Example – Death Punishment]

↓

Amendment in 2014

↓

Punishment (दण्ड)

↓

In Place of death punishment

Imprisonment upto 30 years | Or Death

Penalty is given

Alternative Punishment भी जोड़ दी गई।

NDPS ACT, 1985

Conventions

3 International Conventions

For limiting the use of narcotics & psychotropic Substance for medical and scientific purpose.

(चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नशीले स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थों के उपयोग को सीमित करने के लिए)

NDPS ACT, 1985

To Prevent its abuse
(दुरूपयोग को रोकने के लिए)

Indian Govt. is signatory of the 3 Conventions
(भारत सरकार 3 कन्वेंशन की हस्ताक्षरकर्ता है)

1. Un Single Convention on Narcotic Drugs= 1961

2. UN Convention on Psychotropic Substance, 1971

3. UN Convention on illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substance , 1988

NDPS ACT, 1985

The Indian Govt. Opposed
(भारत सरकार ने विरोध किया)

↓

Un Single Convention on Narcotic Drugs (1961)

↓

Convention Decided - India Would be given a grace period of 25 years to make cannabis available for scientific and medical purpose only.

(भारत को केवल वैज्ञानिक और चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए कैनबिस उपलब्ध कराने के लिए 25 साल की छूट अवधी दी जाएगी न कि किसी अन्य कारण से)

NDPS ACT, 1985

The Indian Govt. Opposed (भारत सरकार ने विरोध किया)

↓

UN Single Convention on Narcotics Drugs (1961)

↓

Convention Decided = India would be given a grace period of 25 years to make cannabis available for scientific & Medical purpose only & not for others
(भारत को केवल वैज्ञानिक और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए कैनबिस उपलब्ध कराने के लिए 25 साल की छूट अवधि दी जाएगी न कि किसी अन्य कारण से)

↓

2001 → Bill

NDPS ACT, 1985

* NDPS Act, 1985 prohibits any individual from engaging in activity consisting of
(NDPS Act, 1985 किसी भी व्यक्ति को संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है-)

- Production (उत्पादन)
- Cultivation (खेती)
- Sale (बिक्री)
- Purchase (खरीद)
- Transport (परिवहन)
- Storage (भंडारण)
- Consumption (खपत)

Of any narcotic drug or psychotropic substance
(किसी भी स्वापक ओषधि या मन: प्रभावी पदार्थ)

NDPS ACT, 1985

General meaning

Narcotic Drugs (स्वापक ओषधि)	Psychotropic Substances (मन: प्रभावी पदार्थ)
Substances that cause ✓ Stupor ✓ Muscular relaxation ✓ Reduction of Sensitivity **पदार्थ जो** ✓ स्तब्ध हो जाना ✓ मांसपेशियों ✓ संवेदनशीलता में कमी का कारण बनते है।	**Chemical Substance (रासायनिक पदार्थ)** That act upon that mind that is on the conscious or unconscious mental life of an individual. (जो मन पर कार्य करते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के चेतन या अचेतन मानसिक जीवन पर)

NDPS ACT, 1985

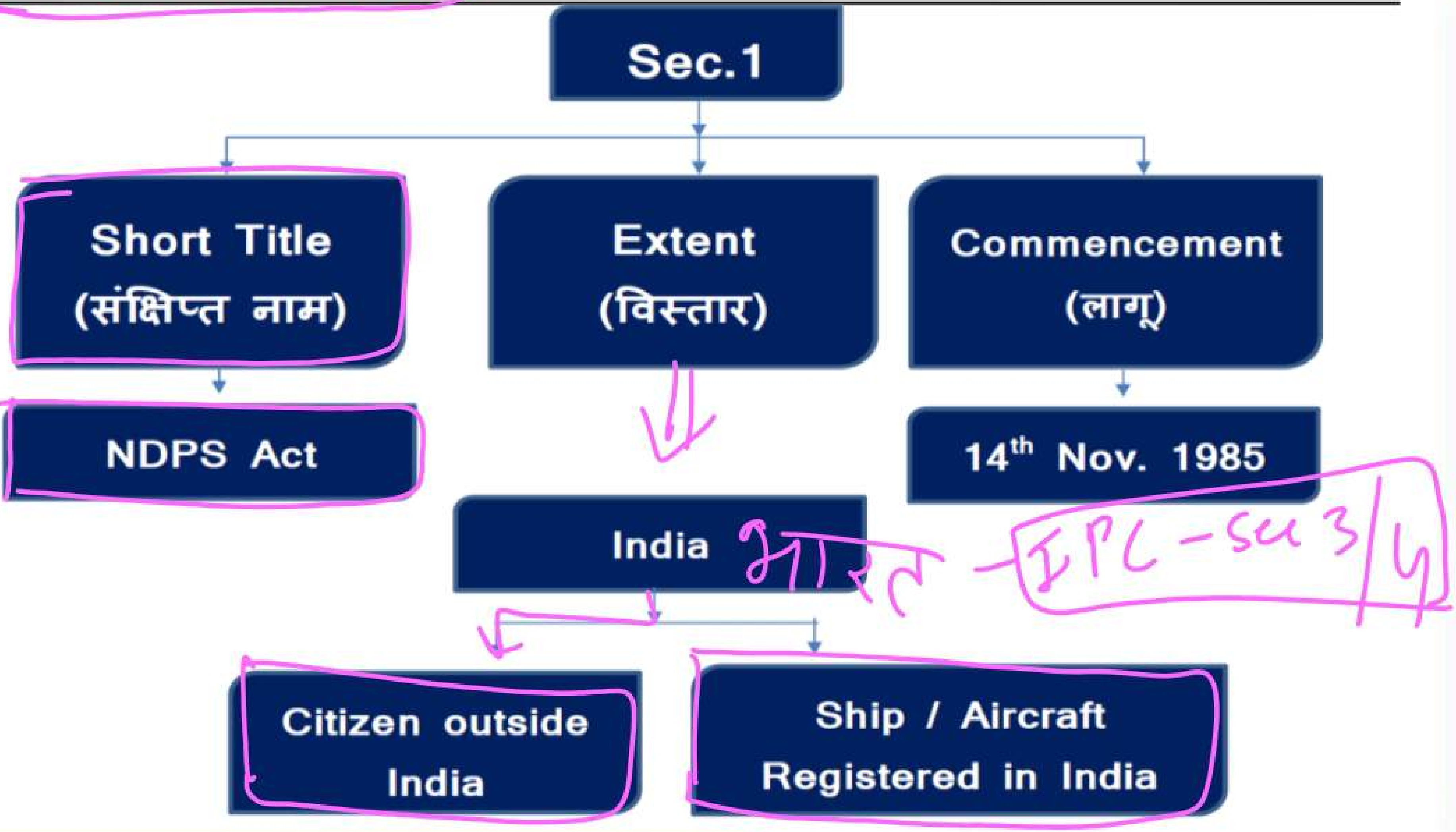

NDPS ACT, 1985

Definitions

Sec.2(xiv) Narcotic Drug (स्वापक ओषधि)

1. Coca Leaf — कोका की पत्ती
2. Cannabis — कैनेबिस
3. Opium — अफीम
4. Poppy Straw — पोस्त तृण
5. Manufactured Drug — विनिर्मित ओषधियाँ

NDPS ACT, 1985

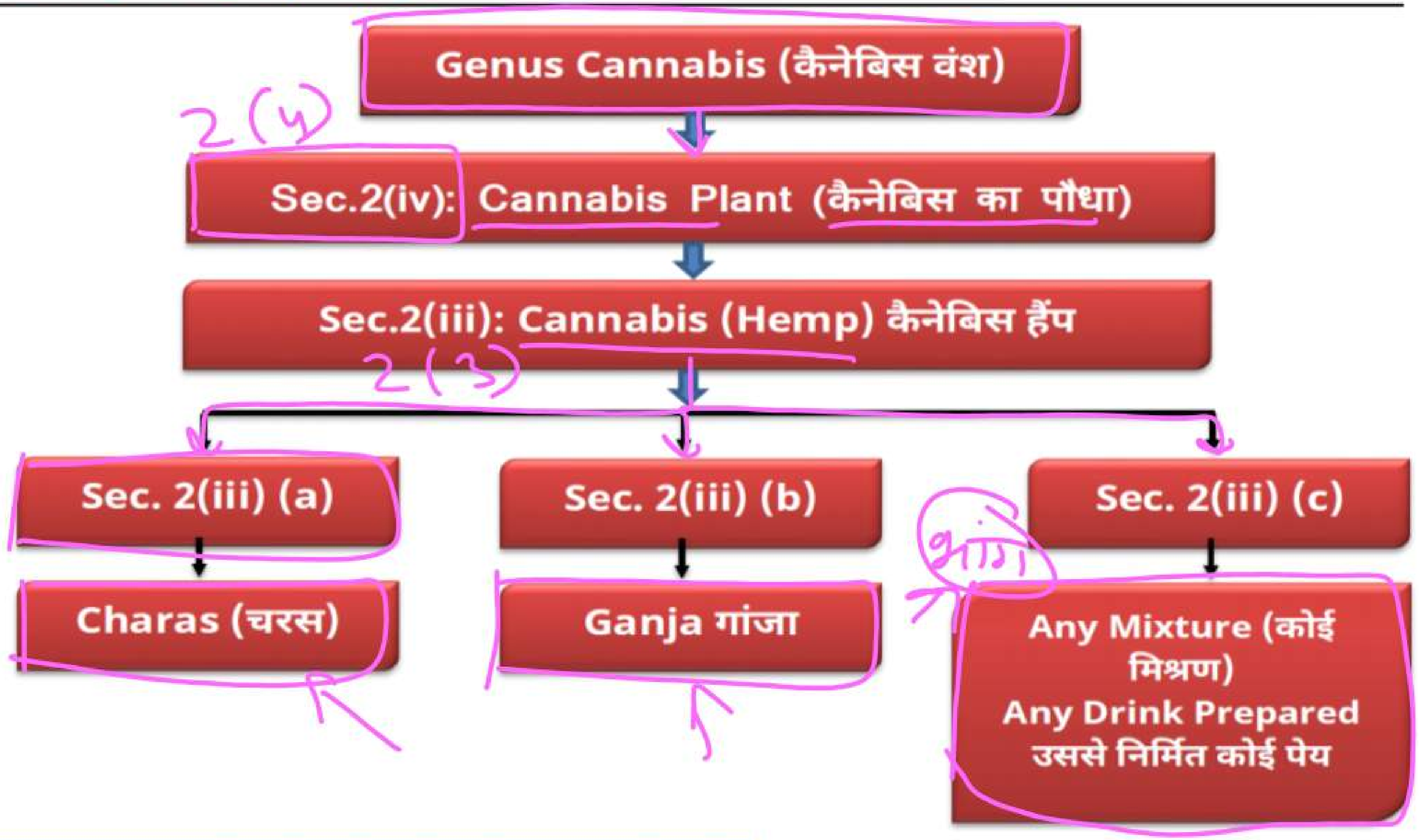

NDPS ACT, 1985

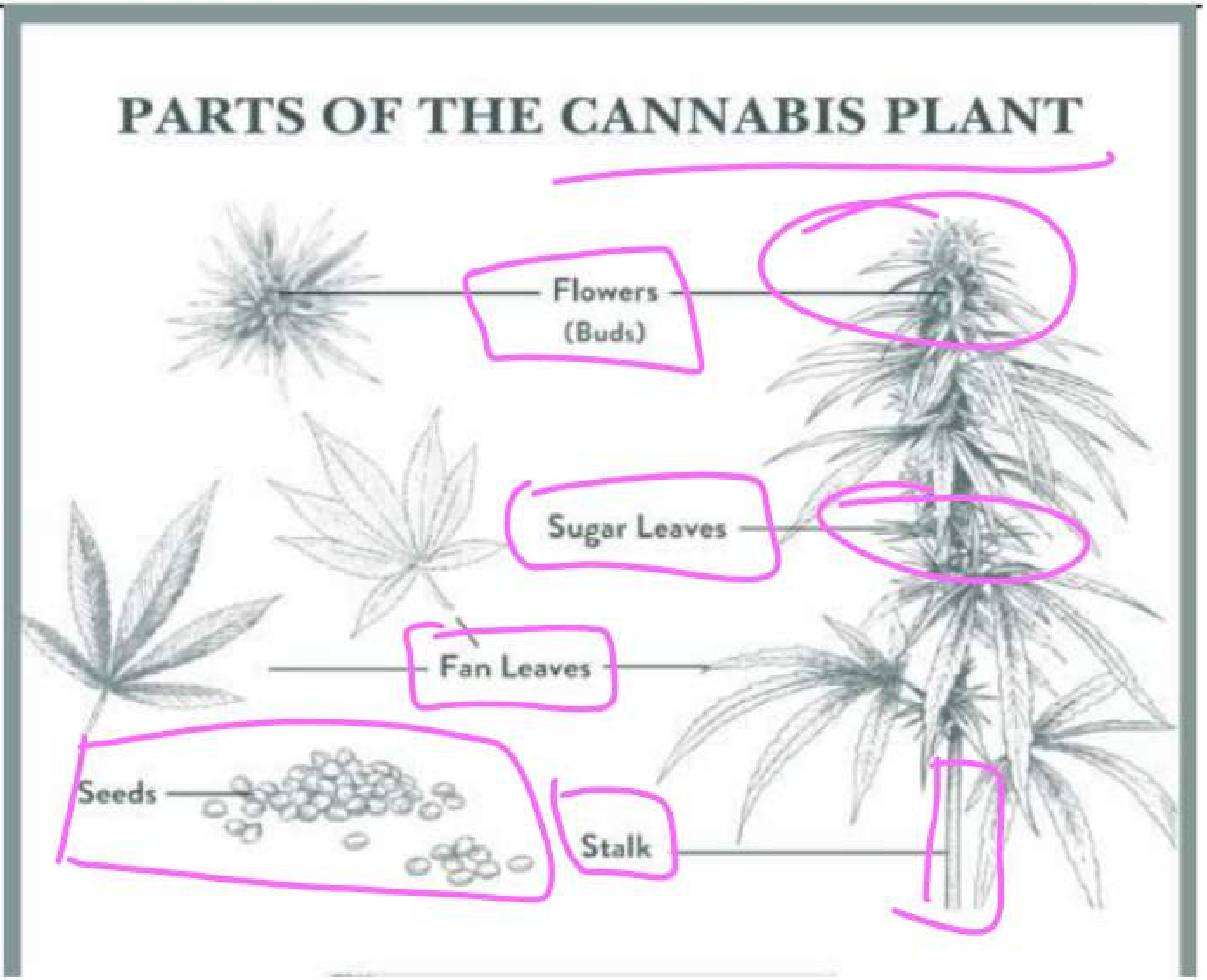

NDPS ACT, 1985

GANJA

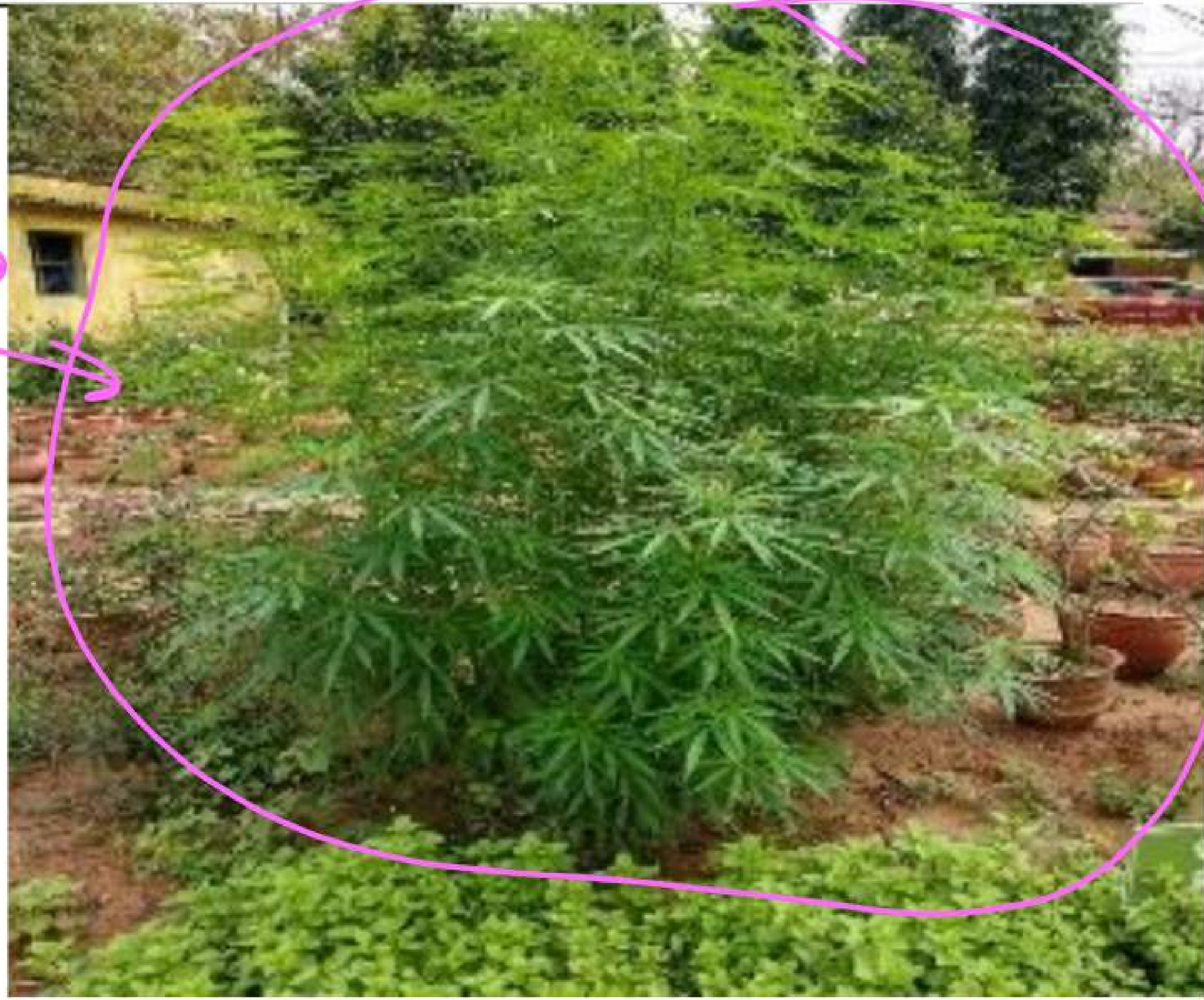

NDPS ACT, 1985

भांग, गांजा और चरस में क्या फर्क?

Cannabis Plant

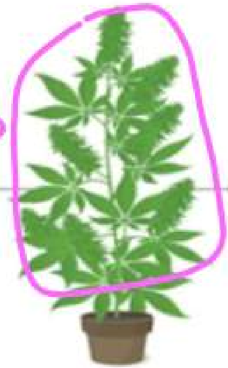

male → Female

एक ही प्रजाति के अलग-अलग पौधे से भांग और गांजा बनता है।

Male

Female

1	2	3
नर प्रजाति के पौधे के फूल, पत्ती और जड़ को सुखाकर गांजा	मादा प्रजाति के पौधे की पत्तियों को पीसकर भांग	पौधे से निकलने वाली रेजिन (एक तरह का चिपचिपा द्रव) से

NDPS ACT, 1985

भांग के पौधे की लाइफ साइकिल

गहरे भूरे रंग के बीजों को बोया जाता है। 1-2 हफ्ते में बीजों का अंकुरण होता है।

2 से 3 हफ्ते में बीज अंकुरित होकर छोटे पौधे में बदल जाता है।

NDPS ACT, 1985

3-8 हफ्ते में पौधे में पत्ती आने लगती है। मेल-फीमेल पौधों को अलग किया जाता है।

20-25 C

6-8 हफ्ते में पौधे में फूल आने लगते हैं। 20 से 25 डिग्री तापमान रखा जाता है।

Linking Laws

NDPS ACT, 1985

कैनाबिस	**कोकीन**	**हेरोइन**
आम नाम गांजा/भांग/चरस	**आम नाम** पाउडर, क्रैक	**आम नाम** स्मैक, डोप
स्रोत कैनाबिस का पेड़	**स्रोत** अफीम का पौधा	**स्रोत** कैनाबिस का पेड़
असर दिमाग और नर्वस सिस्टम पर	**असर** नर्वस सिस्टम पर	**असर** दिमाग और इंद्रियों पर
कीमत 50-250 रु प्रति 1 ग्राम	**कीमत** 5,000 रु प्रति ग्राम	**कीमत** 70,000 रु प्रति 1 ग्राम

NDPS ACT, 1985

LSD

आम नाम
डॉट्स, गोली

स्रोत
लाइसर्जिक एसिड

असर
दिमाग और नर्वस सिस्टम पर

कीमत
4,000 रु प्रति ग्राम

MDMA

आम नाम
डॉट्स, टैबलेट, कैंडी

स्रोत
सूडोफेड्रीन (सर्दी-खांसी की दवा)

असर
दिमाग और नर्वस सिस्टम पर

कीमत
6,000 रु प्रति ग्राम

NDPS ACT, 1985

क्या है MDMA ड्रग जो सोचने की ताकत तक खत्म कर देता है, 4 बड़ी बातें

- यह स्टिम्युलेंट है, जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है
- इस ड्रग का असर 30 से 45 मिनट में दिखने लगता है
- इसे लेने से अचानक काफी खुशी और एनर्जी महसूस होती है
- लेने वाला खूब बातें करता है, हार्टबीट और बीपी बढ़ जाता है

दैनिक भास्कर

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

❖ भारत में उगने वाले Cannabis यानी भांग के **पौधे का साइंटिफिक नाम कैनबिस इंडिका है।** अक्सर लोग इसे भांग या गांजा का पौधा कहते हैं। इस पौधे की सूखी कलियां को गांजा कहा जाता है, जो कि संस्कृत का शब्द **है। इन्हीं सूखी कलियों को लोग चिलम या सिगरेट में भरकर पीते हैं।**

Canabis Sativa

Essay writing

→ पंजाब / U.P. / Bihar
Maharashtra etc.

NDPS ACT, 1985

- हालांकि, गांजे को अंग्रेजी में Weed और Pot नामों से भी जाना जाता है। वहीं, भांग के फूलों को हाथ पर रगड़ने से जो काली परत जम जाती है, उसे चरस कहा जाता है।

NDPS ACT, 1985

भारत, नेपाल, लेबनान और पाकिस्तान जैसे देशों में हाथ से रगड़ कर ही चरस या हशीश तैयार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फूलों को रगड़ने की स्पीड जितनी कम होगी चरस की गुणवत्ता उतनी ही जबरदस्त होती है। वहीं, पत्तियों को भांग कहा जाता है। पिसी हुई पत्तियों को जब किसी चीज में मिला दिया जाता है तो वह भांग कहलाता है। ठंडाई में भांग की पत्ती को मिलाया जाता है।

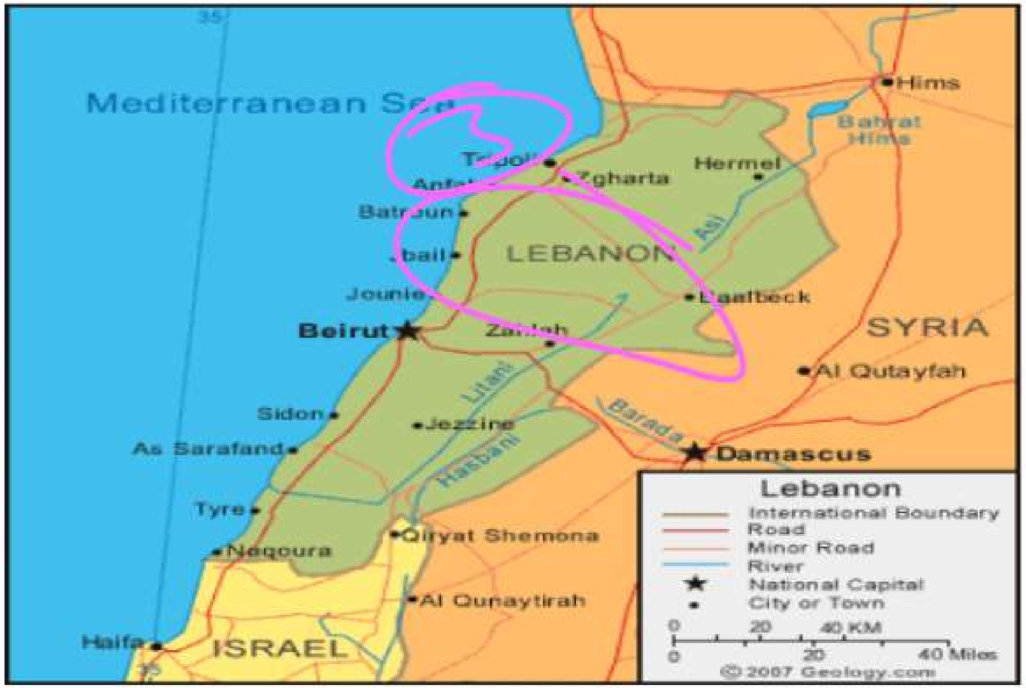

NDPS ACT, 1985

इसके अलावा जलेबी, हलवा और पकौड़े में भी मांग का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि कई तरह की दवाइयों में भी भांग के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जबकि, कई देशों में भांग पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।

LINKING LAWS

NDPS ACT, 1985

- गांजा (Cannabis Or Marijuana), एक मादक पदार्थ है जो गांजे के पौधे से अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है. इसका उपयोग मनोसक्रिय मादक (Psychoactive Drug) के रूप में किया जाता है.

- कैनेबिस के पौधे के फूल, पत्तियों एवं तनों को सुखाकर बनने वाला गांजा सबसे सामान्य है.

- कैनेबिस का सेवन करने पर व्यक्ती की उत्तेजना बढ जाती है. कैनेबिस मे मिलाई जाने वाली तम्बाकू कैंसर का प्रमुख कारण है.

गांजा + तम्बाकू = कैंसर

- कैनेबिस के व्यसनी लोगों के चेहरे पर काले दाग पड जाते है. कैनेबिस के पौधे के औषधी से मनोरुग्ण का ईलाज किया जाता है.

- फ्रान्स के लोग आत्मविश्वास बढाने के लिए गांजा का सेवन करते है.

NDPS ACT, 1985

- भांग के पोंधे को कैनेबिस का पौधा कहते हैं और इस पौधे से तीन ड्रग तैयार होते हैं- गांजा, भांग और चरस -
- गांजा - गांजा को कैनेबिस के फूलों से तैयार किया जाता है और आमतौर इन्हें जलाकर इसके धुएं को अंदर लिया जाता है.
- गांजा को स्मोक किया जाता है. इसके अलावा लेकिन इसे खाने और घोलकर पीने के तरीक़े भी होते हैं.
- चरस - चरस को कैनेबिस के पौधे से निकले कर तैयार होती है.
- रेज़िन चिपचिपा मटेरियल होता है इसको कैनेबिस के पौधे से निकाला जाता है और इसको कैनेबिस आयल भी कहा जाता है.
- हिंदी में इसे राल कहते हैं.
- चरस को ही हशीश या हैश भी कहते हैं.
- हशीश ऑयल हशीश तेल या हैश तेल, गांजा या मारिज़ुआना का सबसे तेज या स्ट्रांग रूप है और यह ड्रग का सबसे कम उपयोग होने वाला रूप है.
- इसे मेडिकल प्रयोग में लाया जाता है.

NDPS ACT, 1985

- भांग – भांग कैनेबिस की पत्तियां और बीजों को पीसकर बनायीं जाती है, फिर इसे सुविधा के मुताबिक़ लोग खाते या पीते हैं
- गांजा, चरस, भांग, मारिजुआना वीड कैनेबिस हशीश या हैश पीने के नुकसान दुनिया भर में कैनेबिस भांग का उपयोग वर्षो से हो रहा है.
- भारत में भांग के कुछ परम्परागत उपयोगों और मेडिसिन को छोडकर अन्य सभी प्रकार के भांग के उपयोग अवैध है.
- कैनेबिस भांग की लत एक खतरनाक चीज है, कैनेबिस भांग स्लो पॉइजन कहना गलत नहीं होगा.
- लेकिन इतने दुष्प्रभावों के बाद भी लोग इसका सेवन करते हैं

NDPS ACT, 1985

1 - गांजा चरस भांग करता है दिमागी क्षमता कम

2 - गांजा आँखें ख़राब करता है

3 - हेल्थ मेडिसन के लिए हो प्रयोग

4 - गांजा चरस भांग का सेवन से भूख और नींद की समस्या

5 - गांजा तोड़ता है उम्मीद , गांजा से डिप्रेशन

6 - गांजे के सेवन करता है आईक्यू (IQ) लेवल कम

NDPS ACT, 1985

7 - गांजा चरस भांग से लंग्स कैंसर का खतरा , फेफड़ों के कैंसर

8 - तनाव पैदा करता है गांजा चरस भांग

9 - गर्भवती महिलाओं के शिशु को भी खतरा - गर्भवती होने पर गांजा चरस भांग से धूम्रपान करने वाली महिलाओं के पैदा होने वाले शिशु का वजन कम होने की आशंका रहती है क्यों की शिशु बहुत जल्दी पैदा हो सकते हैं, जिससे उन्हें नियोनेटल इंटेंसिव देखभाल की आवश्यकता होती है.

10 - प्रजनन तंत्र पर गांजा चरस भांग का बुरा प्रभाव - गांजा का प्रजनन तंत्र पर भी हानिकारक प्रभाव होता है. प्रोस्टेट कैंसर और बांझपन की समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है.

NDPS ACT, 1985

11 - गले की बीमारी कैंसर खासी

12 - गांजा चरस भांग से हार्टअटैक का खतरा

13 - हड्डियां भी होती है कमजोर

14 - डोपेमाइन रिलीज को बढ़ाता है - गांजा का सेवन दिमाग में डोपेमाइन हार्मोन को रिलीज करते है और ये लोगों को अच्छा महसूस कराने का काम करती है. इसका अत्यधिकत सेवन किया जाए तो सेहत पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है.

BENEFITS

NDPS ACT, 1985

नॉटिंघम यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार गांजा पीने से अनिद्रा और बेचैनी की परेशानी दूर हो जाती है।ये अच्छी और गहरी नींद में बहुत फायदा करता है।

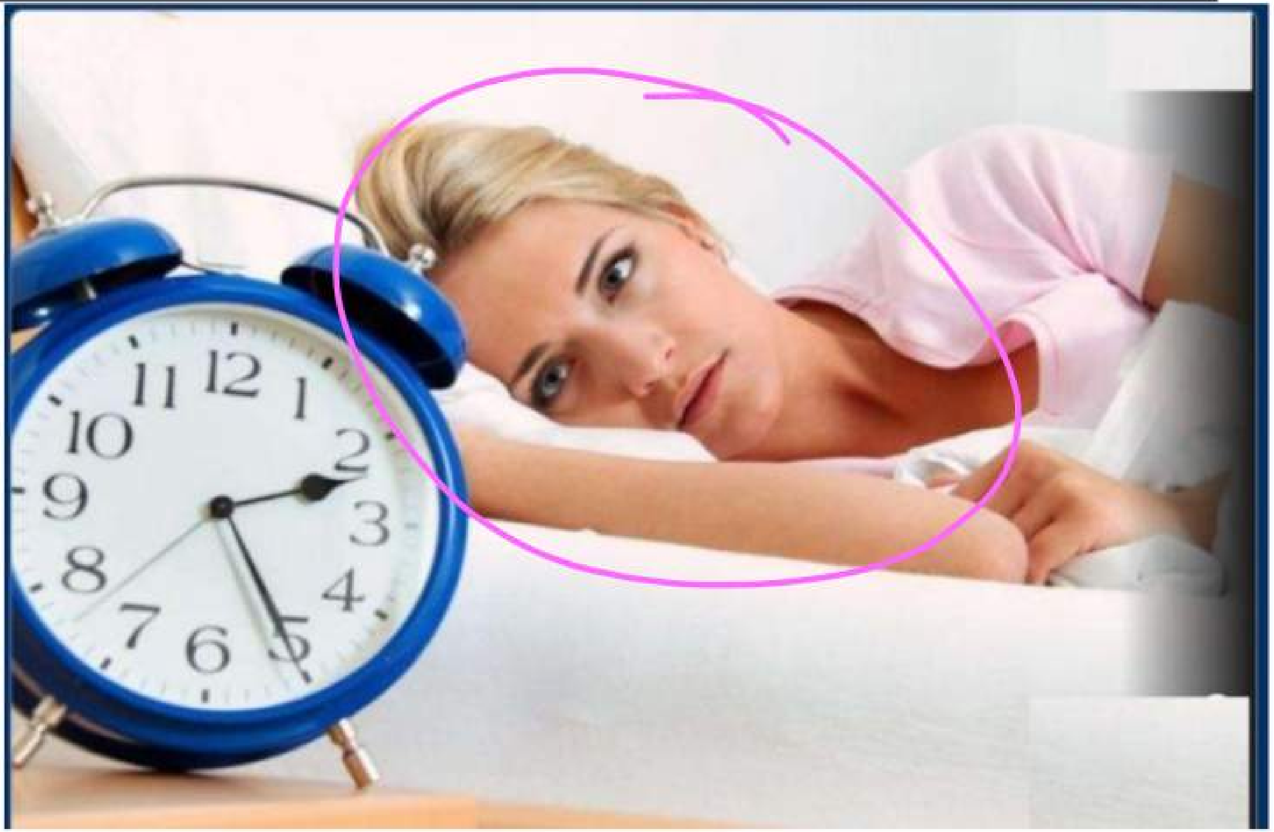

NDPS ACT, 1985

Smoking is injurious to Health

ज्यादातर डॉक्टर्स का कहना है कि गांजा पीने से व्यक्ति को फेफड़ों,दिल एवं गुर्दे आदि की बीमारी हो जाती है,लेकिन नॉटिंघम यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार गांजा पीने के कई फायदे होते हैं।ये गंभीर बीमारियों को ठीक करने में असरदार साबित होता है।आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली बातें बताएंगे।

NDPS ACT, 1985

इसके अलावा Tel Aviv यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक गांजा दिमागी स्ट्रोक को रोकने में भी बहुत असरदार है। उनके अनुसार गांजा स्ट्रोक के असर को दिमाग के कुछ हिस्सों में ही सीमित कर देता है।जिससे मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुंचता है।

LINKING LAWS

NDPS ACT, 1985

गांजा हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी से लड़ने में भी बहुत असरदार है।इससे थकान,नाक बहना,मांसपेशियों में दर्द,भूखन लगना और डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर होती है।

NDPS ACT, 1985

यूरोपियन जर्नल ऑफ गेस्ट्रोलॉजी एंड हेप्टोलॉजी के अनुसार गांजे के इन फायदों को देखते हुए कई मरीजों का इलाज किया गया था।जिसमें करीब 86 प्रतिशत मरीजों का इलाज सफल हुआ।डॉक्टरों के मुताबिक गांजे ने हेपेटाइटिस सी के साइड इफेक्ट्स को कम किया है।

NDPS ACT, 1985

मिर्गी

गांजे में कैनाबिनॉएड्स कंपाउंड पाया जाता है,जो दिमाग को रिलैक्स महसूस कराता है।ये आराम देने वाले दिमाग के हिस्से को कोशिकाओं से जोड़ता है।एक रिसर्च के अनुसार गांजे में मिलने वाले तत्व मिर्गी के दौरे को भी टाल सकते हैं।

NDPS ACT, 1985

शुगर से कई लोगों के हाथ वे पैर में जलन होती है।उनका नव्र्स सिस्टम सही से काम नहीं करता है।कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अनुसार इस तरह होने वाले दर्द में गांजा बहुत आराम देता है।एक दूसरी रिसर्च के अनुसार गांजा,नर्ल्स डैमेज वाले दर्द में भी आराम पहुंचा सकता है।

NDPS ACT, 1985

कई बार अनियमित खान-पान एवं बिगड़े लाइफस्टायल की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसे ठीक करने में गांजा बहुत फायदेमंद है।साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार गांजा में मिलने वाला टीएचसी इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से हाने वाली ऑटोइम्यून डिसीज से बचाता है।

NDPS ACT, 1985

अमेरिका की एक रिसर्च के अनुसार गांजे में कैनाबिनॉएड्स नाम का एक तत्व पाया जाता है,जो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में सक्षम है।

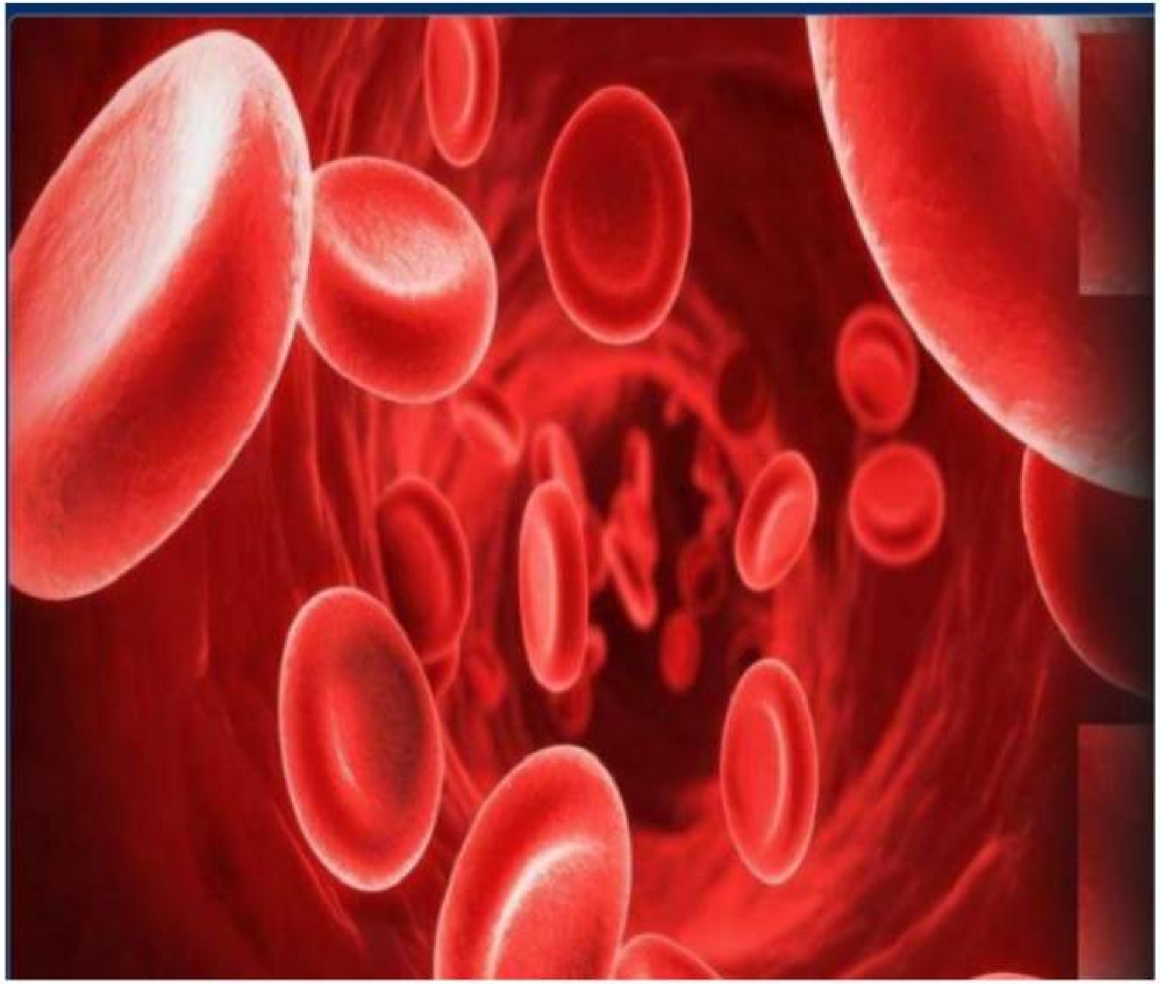

NDPS ACT, 1985

इसके अलावा गांजा में मिलने वाले तत्व ट्यूमर को बढ़ने नहीं देते हैं।ये रक्त की कोशिकाओं में जम रहे थक्के को रिलीज करता है।साथ ही ये कोलन कैंसर,ब्रेस्ट कैंसर और लीवर कैंसर के इलाज में भी फायदेमंद होता है।

NDPS ACT, 1985

Sec. 2 (i) "addict" means a person who has dependence on any narcotic drug or psychotropic substance;

"व्यसनी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ पर आश्रित है;

CBEC

Sec. 2 (ii) "Board" means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);

"बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

Sec. 2 : Definition - 2(29)

परिभाषाएँ

Sec. 2(2): Board

⇓

CBEC

⇓

Central Board Of Revenue Act, 1963

Sec. 2 (i)

↓

Addict (व्यसनी)

↓

Any Person

↓

depend on ⇒ NDPS

NDPS ACT, 1985

Definition of Board

Board

↓

Central Board of Central Excise & Customs (CBEC)

NDPS ACT, 1985

Sec. 2 (iii) "cannabis (hemp)" means— Include,

"कैनेबिस (हैंप) " से अभिप्रेत है, -

NDPS ACT, 1985

(*a*) *charas*, that is, the separated resin, in whatever form, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant and also includes concentrated preparation and resin known as hashish oil or liquid hashish;

चरस, अर्थात् कच्चा या शोधित किसी भी रूप में पृथक् किया गया रेजिन कैनेबिस के पौधे से प्राप्त किया गया हो और इसकेअंतर्गत हशीश तेल या द्रव हशीश के नाम से ज्ञात सांद्रित निर्मिति और रेजिन है;

NDPS ACT, 1985

(*b*) *ganja*, that is, the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops), by whatever name they may be known or designated; and

गांजा, अर्थात् कैनेबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे इनके अंतर्गत बीज और पत्तियां जब वे सिरे के साथ न हों नहीं हैं) चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात या अभिहित हों; और

NDPS ACT, 1985

(c) any mixture, with or without any neutral material, of any of the above forms of cannabis or any drink prepared therefrom;

उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनेबिस का कोई मिश्रण चाहे वह किसी निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो या उससे निर्मित कोई पेय ;

भांग

NDPS ACT, 1985

(*iv*) "cannabis plant" means any plant of the genus cannabis;

"कैनेबिस का पौधा" से कैनेबिस वंश का कोई पौधा अभिप्रेत है;

Genus Cannabis

NDPS ACT, 1985

[(*iva*) "Central Government factories" means factories owned by the Central Government or factories owned by any company in which the Central Government holds at least fifty-one per cent. of the paid-up share capital;

"केन्द्रीय सरकार के कारखानों" से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कारखाने या किसी ऐसी कंपनी के, जिसमें केन्द्रीय सरकार समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करती है, स्वामित्वाधीन कारखाने अभिप्रेत हैं;

Company law

⇓

Govt company

Company → 51% or P.S.C. hold ↑

NDPS ACT, 1985

(*v*) "coca derivative" means—

"कोका के व्युत्पाद" से अभिप्रेत है-

NDPS ACT, 1985

(*a*) crude cocaine, that is, any extract of coca leaf which can be used, directly or indirectly, for the manufacture of cocaine;

कच्चा कोकेन, अर्थात् कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः उपयोग किया जा सकता है;

NDPS ACT, 1985

(*b*) ecgonine and all the derivatives of ecgonine from which it can be recovered;

ऐकगोनिन और ऐकगोनिन के सभी व्युत्पाद, जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है;

(*c*) cocaine, that is, methyl ester of benzoyl-ecgonine and its salts; and

कोकेन, अर्थात् बेंजायल-ऐकगोनिन का मेथिल एस्टर और उसके लवण ; और

NDPS ACT, 1985

(*d*) all preparations containing more than 0.1 per cent. of cocaine;

सभी निर्मितियां जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकेन हो,

(*vi*) "coca leaf" means—

'कोका की पत्ती " से अभिप्रेत है

(*a*) the leaf of the coca plant except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed;

कोका के पौधे की पत्ती, सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी ऐकगोनिन, कोकेन और कोई अन्य ऐकगोनिन ऐल्केलाइडनिकाल लिए गए हैं ;

NDPS ACT, 1985

(*b*) any mixture thereof with or without any neutral material, but does not include any preparation containing not more than 0.1 per cent. of cocaine;

उनका कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो, किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसी निर्मिति नहीं है जिसमें 0.1 प्रतिशत से अनधिक कोकेन है;

NDPS ACT, 1985

(vii) "coca plant" means the plant of any species of the genus Erythroxylon;

"कोका का पौधा " से ऐरिथ्रोजाइलान वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है ;